

जूट विनिर्मिति उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 13)

[27 मार्च, 2002]

जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983 का
संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित
हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जूट विनिर्मिति उपकर (संशोधन) अधिनियम,
2002 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
विनिर्दिष्ट करे ।

2. जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983 की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित
अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

1983 के
अधिनियम 28 की
अनुसूची के स्थान
पर एक नई
अनुसूची का रखा
जाना ।

“अनुसूची

[धारा 2(क) और धारा 3(1) देखिए]

क्र० सं०	जूट विनिर्मिति की वस्तुएं	वह अधिकतम दर जिस पर उत्पाद-शुल्क संगृहीत किया जा सकेगा	वास्तविक दर जिस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा, भिन्न दर विनिर्दिष्ट किए जाने तक, उत्पाद-शुल्क संगृहीत किया जाएगा
1	2	3	4
1.	कार्पेट बैंकिंग	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
2.	हैशन	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	बोरे	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
4.	सूत और सुतली	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
5.	डी.डब्ल्यू. तिरपाल	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
6.	सजावटी फ़ैबिक	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
7.	सूती थैले	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
8.	मृदा रक्षक	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
9.	जापानी चावल के थैले	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार
10.	जूट विनिर्मिति की कोई अन्य वस्तु	दो प्रतिशत मूल्यानुसार	एक प्रतिशत मूल्यानुसार ।” ।

राष्ट्रपति ने दि जूट मैन्यूफैक्चर्स सेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2002 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Jute Manufactures Cess (Amendment) Act, 2002 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।

Secretary to the Government of India.